

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्ये राज0 जयपुर
क्रमांक - ई-18/एम/जोन-बीकानेर/2019/ दिनांक

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14 (88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री जितेन्द्र ओझा, कनिष्ठ सहायक, अधीक्षक, पीबीएम एवं सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 19.10.1993 है तथा राज्य सेवा में 18 वर्ष की सेवा अवधि दिनांक 19.10.2011 को पूर्ण करली है, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 14(88)/एफडी/रूल्स/2008-1 दिनांक 06.10.2015 एवं दिनांक 01.06.2017 की अनुपालना में दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न होने के कारण दिनांक 19.10.2011 के स्थान पर 5 वर्ष के पश्चात दिनांक 19.10.2016 से 9300-34800 व ग्रेड पे 3600 एसीपी स्वीकृत किया जाती है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

Sr ✓
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राज0 जयपुर

क्रमांक - ई-18/एम/जोन-बीकानेर/2019/ 705

दिनांक : 12/03/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, पीबीएम एवं सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर।
2. श्री जितेन्द्र ओझा, कनिष्ठ सहायक को सूचनार्थ।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये
राज0 जयपुर